न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री दाताराम, आर.ए.एस

अपील संख्या : आरटीए/225/2017/097 (कंप्युटर सं.2017/00082)

1. हाथीसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत
2. चन्दनसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत
3. जेठूसिंह पुत्र अचलसिंह राजपूत

निवासीगण गांव बारू, तहसील बाप,
जिला जोधपुर

--- अपीलाण्ट्स

ब ना म

1. राजस्थान सरकार
   जरिये तहसीलदार, बाप
   जिला जोधपुर
2. सहायक अभियन्ता,
   जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
   तहसील बाप, जिला जोधपुर

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध आदेश सहायक कलेक्टर बाप दिनांक 01 जून 2017 राजस्व प्रकरण संख्या 155/2016 हाथीसिंह बनाम तहसीलदार बाप

---- 0 ----

उपस्थित-

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई

रेस्पो. संख्या एक की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री दूदाराम चौधरी

रेस्पो. संख्या दो की ओर से अधिवक्ता श्री विक्रम चौधरी

नि ण र्य

दिनांक : 19 दिसम्बर 2018

अपीलाण्ट्स ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील विद्वान सहायक कलेक्टर बाप द्वारा राजस्व

19/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकरण संख्या 155/2016 हाथीसिंह बनाम तहसीलदार बाप अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 में पारित आदेश दिनांक 01 जून 2017 (जो राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 कैम्प बारू में पारित किया गया) के खिलाफ पेश की गयी है। अपील के साथ भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत एक प्रार्थना पत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के तहत एक प्रार्थनापत्र पेश कर आराजी खसरा संख्या 831 रकबा 100 बीघा एवं खसरा संख्या 801 रकबा 300 बीघा वाके मौजा बारू के संबंध में नियमित वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 एवं 92ए के तहत प्रस्तुत किया जाना जाहिर किया और उक्त आराजियात पर अपना पुराना कब्जा वक्त सेटलमेण्ट से होना, मौके पर रहवासीय ढाणी, टांका, दो नलकूप आदि होना व्यक्त करते हुए मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अप्रार्थी-रेस्पो. की ओर से जबाब पेश होने के बाद जरिये अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2017 को खारिज कर दिया गया, जिसके खिलाफ अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील पेश की गयी है।

अपील बउज मियाद दर्ज की जाकर रेस्पो. को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही उभयपक्षकारान की बहस अपील में निर्णायक बहस सुनी गयी।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने मामले के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात पर अपीलाण्ट्स का कदीमी कब्जा काश्त वक्त सेटलमेण्ट से चला आ रहा है, मौके पर उनकी ढाणी, टांका

19/12

एवं दो नलकूप भी है, अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रिकार्ड की नकले भी पेश की गयी, अपीलाण्ट्स के दादा थोकलसिंह के दो पुत्र हरीसिंह व अचलसिंह थे, दोनों का थोकलसिंह के जीवनकाल में ही अलग-अलग कब्जा काश्त चले आने से वक्त सेटलमेण्ट हरीसिंह के नाम 608 बीघा भूमि दर्ज हुई, किन्तु अपीलाण्ट्स के पिता अचलसिंह के नाम खसरा संख्या 831 में से 100 बीघा तथा 801 में से 300 बीघा त्रुटिवश राजकीय भूमि दर्ज हो गयी। मगर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और न ही अस्थायी निषेधाज्ञा के मामले में विचारणीय प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं बाबत कोई विवेचन एवं विश्लेषण किया गया। इतना ही नहीं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किये जाने के पूर्व अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर ही नहीं दिया, यहॉ तक कि पत्रावली लोक अदालत कैम्प बारु में रखकर अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता की उपस्थित दर्शा कर प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया, जबकि वास्तव में अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित ही नहीं थे और न ही आदेशिका पर अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। मामले में पेशी दिनांक 24 अप्रेल 2017 इंतजार तलबी हेतु निर्धारित थी, उक्त तारीख से आगे पेशी तलबी बाबत नोटिस पेश करने हेतु अंतिम अवसर देते हुए 14 जून 2017 निर्धारित की गयी। मगर फर्द आदेशिका से स्पष्ट है कि अकारण ही दिनांक 27 अप्रेल 2017 को रबर स्टाम्प लगाकर प्रकरण लोक अदालत में रखते हुए प्रकरण में तारीख पेशी 01 जून 2017 निर्धारित कर दी गयी। जिसकी कोई सूचना अपीलाण्ट्स को दिया जाना अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से प्रकट नहीं होता है। इस कारण अपीलाधीन आदेश की जानकारी भी समुचित समय में नहीं हो पायी और अपील पेश करने में सद्भावी विलम्ब हुआ। अतः मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील मियादशुमार की जावे और गुणावगुण पर अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किया जावे।

19/12

जबाब में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के उपलब्ध राजस्व अभिलेख की नकलों के अनुसार वादग्रस्त आराजियात राजकीय भूमि है, जिसका अपीलाण्ट्स से कोई सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता है। अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन व मियाद-बाधित होने से तदनुसार खारिज की जावे।

उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहॉ तक अपील पेश करने में हुए विलम्ब का प्रश्न है, न्यायहित में विलम्ब क्षमा किया जाकर अपील मियादशुमार की जाती है। पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के उपलब्ध राजस्व अभिलेख की नकलों के अनुसार वादग्रस्त आराजियात राजकीय भूमि है, जिसका अपीलाण्ट्स से कोई सम्बन्ध होना प्रतीत नहीं होता है। अपील स्तर पर भी अपीलाण्ट्स की ओर से ऐसा कोई तर्क अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे मौके पर अपीलाण्ट्स का कब्जा अथवा स्वत्व अथवा अधिकार प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया प्रकरण के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश न्यायोचित एवं विधिसम्मतः पारित किया जाना पाया जाता है। जहॉ तक अपीलाण्ट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इन तर्कों का कथन है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया, इस संबंध में उल्लेखनीय है कि अपील स्तर पर उन्हें पूर्ण अवसर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध रहा है, मगर कोई तर्क अथवा साक्ष्य पेश कर अपीलाण्ट्स प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु अपने पक्ष में सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाये है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की राय में आलौच्य अपील खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है एवं

19/12
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील संख्या : आरटीए/225/2017/097 (कंप्युटर सं.2017/00082)
हाथीसिंह बनाम राजस्थान सरकार

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01 जून 2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 19 दिसम्बर 2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/12/18

(दाताराम)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर